<u>हरियाणा विधान सभा</u>

बुधवार, 12 मार्च, 2025 को 02.30 बजे मध्याह्न-पश्चात् विधान भवन, चण्डीगढ़ में हरियाणा विधानसभा के हाल में होने वाली हरियाणा विधान सभा की बैठक की कार्यसूची (द्‌वितीय बैठक)।

I. राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर सामान्य चर्चा का पुनरारम्भण।

10 मार्च, 2025 को श्री घनश्याम दास, एम.एल.ए. तथा श्री योगीन्द्र सिंह राणा, एम.एल.ए. द्‌वारा प्रस्तुत किए गए निम्नलिखित प्रस्ताव पर सामान्य चर्चा का पुनरारम्भण, अर्थात्:-

"कि राज्यपाल महोदय को एक समावेदन निम्नलिखित शब्दों में पेश किया जाए:-

'कि इस सत्र में इकट्ठे हुए हरियाणा विधान सभा के सदस्य उस अभिभाषण के लिए राज्यपाल महोदय के अत्यन्त कृतज्ञ हैं जो उन्होंने 07 मार्च, 2025 को 11.00 बजे प्रातः सदन में देने की कृपा की है।'।"

II. 2024-2025 के लिए अनुपूरक अनुमान (द्‌वितीय किस्त) तथा उन पर प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

(i)	वित्त मंत्री	2024-2025 के लिए अनुपूरक अनुमान (द्‌वितीय किस्त) प्रस्तुत करेंगे।
(ii)	चेयरपर्सन, प्राक्कलन समिति	2024-2025 के लिए अनुपूरक अनुमान (द्‌वितीय किस्त) पर प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

III. 2024-2025 के अनुपूरक अनुमान (द्‌वितीय किस्त)।

1. राज्य के राजस्व पर प्रभारित व्यय के अनुमानों पर चर्चा।
2. अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान।

मांग संख्या 12	एक मंत्री	प्रस्ताव करेंगे कि एक अनुपूरक धनराशि जो **राजस्व खर्च के लिए ₹1,00,000** से अधिक न हो, **मांग संख्या 12 शिक्षा (माध्यमिक/ प्राथमिक) /उच्च शिक्षा (उच्च, तकनीकी, विज्ञान तथा प्रौद्‌योगिकी) /महिला एवं बाल विकास** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।	अनुपूरक अनुमान 2024-25 (द्‌वितीय किस्त) पृष्ठ संख्या 1-3
मांग संख्या 16	एक मंत्री	प्रस्ताव करेंगे कि एक अनुपूरक धनराशि जो **राजस्व खर्च के लिए ₹4,00,000** से अधिक न हो, **मांग संख्या** 16 **सामाजिक न्याय, सशक्तिकरण/ अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों का कल्याण एवं अन्तोदय(एस.ई.डब्ल्यू.ए.)/ भूतपूर्व सैनिकों का कल्याण** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।	अनुपूरक अनुमान 2024-25 (द्‌वितीय किस्त) पृष्ठ संख्या 4-8

मांग संख्या 17	एक मंत्री	प्रस्ताव करेंगे कि एक अनुपूरक धनराशि जो **राजस्व खर्च के लिए ₹127,05,51,819** से अधिक न हो, **मांग संख्या 17-लोक निर्माण (भवन व सड़कें)/ परिवहन/ नागर विमानन** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चा को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।	अनुपूरक अनुमान 2024-25 (द्वितीय किस्त) पृष्ठ संख्या 9-11

IV. विधायी कार्य।

(पुरःस्थापित किये जाने वाले विधेयक)

1. पंचकूला महानगर विकास प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2025	एक मंत्री	पंचकूला महानगर विकास प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे।
2. हरियाणा खेलकूद विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2025	एक मंत्री	हरियाणा खेलकूद विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे।

चण्डीगढ़:
11 मार्च, 2025.

डॉ० सतीश कुमार,
सचिव।